

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
राष्ट्रीय परिषद सचिवालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली,
दिनांक: अगस्त, 2021

निर्माण भवन, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद के सचिवालय में संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए (जिसे कार्य-निष्पादन के आधार पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है) निम्नलिखित पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:

पद का नाम	पद की संख्या	अर्हता	अनुभव		आयु समूह	समेकित पारिश्रमिक प्रतिमाह
			अनिवार्य	वांछित		
परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान)	1	i. एमबीबीएस, ii. जन-स्वास्थ्य/हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर या एमसीआई से मान्यताप्राप्त किसी चिकित्सा विषय में एमडी/एमएस/डिप्लोमा या समतुल्य या एमबीए(हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन)	i. स्नातकोत्तर अर्हता के पश्चात् एक वर्ष का अनुभव ii. कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान	स्वास्थ्य/हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन /प्रबंधन का दो वर्ष का अनुभव	30 से 65 वर्ष	चिकित्सा के क्षेत्र में एमसीआई से मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता रखने वाले व्यक्तियों के लिए 1,00,000/-रुपये, और (ii) चिकित्सा के क्षेत्र में एमसीआई से मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता न रखने वाले व्यक्तियों के लिए 80,000/-रुपये।

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि के 15 दिनों के अन्दर अपने बायोडेटा के साथ अर्हता और अनुभव संबंधी दस्तावेजों की प्रतिलिपियों सहित अपना आवेदन help.ceact2010@nic.in पर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.mohfw.gov.in या www.dghs.gov.in या www.clinicalestablishments.gov.in वेबसाइट देखें।

(पद्मजा सिंह)
संयुक्त सचिव

परामर्शदाता का नाम	परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान)
<p>विचारार्थ विषय</p>	<p><u>सामान्य विचारार्थ विषय (टीओआर)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान) की नियुक्ति पूर्ण रूप से केवल संविदा के आधार पर होगी और परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान) अपनी नियुक्ति के नियमितिकरण के लिए कोई दावा नहीं करेगा। 2. परामर्शदाता संविदाकर्मियों पर लागू केन्द्रीय सरकार/स्वास्थ्य मंत्रालय के सामान्य प्रशासनिक नियमों से बाध्य होगा तथा वह एक कैलेंडर वर्ष में यथानुपात आधार पर 12 दिन के अवकाश का हकदार होगा और अतिरिक्त अवकाश लेने पर वेतन में कटौती की जाएगी। परामर्शदाता द्वारा हाजिरी लगाई जाएगी। 3. यह नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी जिसमें कार्य का समय प्रातः 9:30 से सांय 6:00 बजे तक होगा। 4. परामर्शदाता, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होंगे और अपर उपमहानिदेशक (एके) या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम और राष्ट्रीय परिषद का कार्य देख रहे संबंधित नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय परिषद के सचिव या उनके प्रति निधि द्वारा भी उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। 5. परामर्शदाता द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। 6. कार्य-निष्पादन की मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और असंतोषजनक प्रगति होने पर संविदा को समाप्त किया जा सकता है। 7. संविदा को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त किया जा सकता है। 8. परामर्शदाता एक महीने का नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर सकता है। ऐसा न करने पर एक महीने का वेतन जब्त कर लिया जाएगा। 9. चिकित्सा के क्षेत्र में एमसीआई से मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता होने पर परामर्शदाता को प्रतिमाह 1,00,000/- रुपये और चिकित्सा के क्षेत्र में एमसीआई से मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता नहीं होने पर प्रतिमाह 80,000/-रुपये के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। परामर्शदाता (नैदानिक प्रतिष्ठान) शहर से बाहर आधिकारिक दौरो के लिए 5400/- रुपए के ग्रेड वेतन वाले समूह 'क' अधिकारियों के लिए लागू टीए/डीए पाने का हकदार होगा, जिसमें एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास की हवाई यात्रा, जहां लागू हो, सम्मिलित है। <p><u>विशेष विचारार्थ विषय (टीओआर)</u></p>

1. राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद की प्रचालन संरचना का रख-रखाव और अद्यतन करना ।
2. राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद के कार्यों के संबंध में तकनीकी दिशानिर्देश और इनपुट प्रदान करना ।
3. राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद को संदर्भित सभी तकनीकी मामलों की जांच करना तथा नोडल अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना और यदि अपेक्षित हो तो राष्ट्रीय परिषद और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत करना ।
4. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर नैदानिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण को अंतिम रूप देना और अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना ।
5. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली के विकास को सुगम बनाना ।
6. प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर नैदानिक प्रतिष्ठान की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मानकों को अंतिम रूप देना और सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना। अनुमोदन के पश्चात, आवश्यकता अनुसार नियत समय में इसे अधिसूचित कराना ।
7. विशेषज्ञों/पेशेवर समुदायों के परामर्श से नए मानक उपचार दिशा-निर्देशों का आलेखन तथा मौजूदा मानक उपचार दिशा-निर्देशों की समीक्षा और अद्यतन करने का कार्य ।
8. नैदानिक प्रतिष्ठानों के वेब-पोर्टल के विकास हेतु तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराना।
9. राष्ट्रीय परिषद और इसकी उपसमितियों/उप-समूहों की बैठकों का आयोजन कराना और कार्यवृत्त, आदि रिकार्ड करना । राष्ट्रीय परिषद/उपसमितियों/उपसमूहों की बैठकों के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करना ।
10. संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय से सूचनाओं के प्रसार, जागरूकता निर्माण, उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कार्यशालाओं या बैठकों का आवश्यकतानुसार आयोजन करना और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करना।
11. अधिनियम के कार्यान्वयन और नैदानिक प्रतिष्ठानों हेतु न्यूनतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विकास सहित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
12. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम और उसके अधीन नियमों के उचित कार्यान्वयन हेतु

	<p>राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करना ।</p> <p>13. सभी संसदीय मामलों, प्रश्नों तथा आरटीआई, आरटीआई अपीलों, इत्यादि का उत्तर तैयार करना ।</p> <p>14. नैदानिक प्रतिष्ठानों से संबंधित न्यायालयी मामलों में कानूनी सहायक की मदद से जवाब, टिप्पणियां, प्रारूप हलफनामा तैयार करना।</p> <p>15. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु सुविधाओं/बजट स्वीकृति के लिए मंत्रालय के एनएचएम प्रभाग और राज्यों से समन्वय करना ।</p> <p>16. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, जहां भी लागू हो, के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पीआईपी की सांख्यिकीय सहायक के साथ समीक्षा करना और तदनुसार एनएचएम प्रभाग को टिप्पणियां प्रस्तुत करना ।</p> <p>17. नैदानिक प्रतिष्ठानों के राष्ट्रीय रजिस्टर का संकलन और प्रकाशन कराना ।</p> <p>18. राष्ट्रीय परिषद के निदेशानुसार नैदानिक प्रतिष्ठानों के संबंध में आंकड़ों के संग्रहण को सुगम बनाना।</p> <p>19. अधिनियम से संबंधित मामलों के बारे में राष्ट्रीय परिषद और राज्यों का मार्गदर्शन करना ।</p> <p>20. राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य ।</p>
--	---